

Emt of Disposal

126

न्यायालय श्री विठ्ठल केसवाम अंचल अधिकारी, बलियापुर & धनबाद &

415

प्रमाण पत्र मुकदमा संख्या 01/06-07

250

305

अंचल अधिकारी बलियापुर के पत्रांक 762 दिनांक 16-12-05 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आधार पर देनदार श्री दिवंगत सुखराम महतो पिताश्वर देवेन महतो साठ ठांगरी धाना बलियापुर जिलाधनबाद से 7500/- रुपये। सात हजार पांच सौ।

वकाया राशि की वसूली हेतु देनदार के विरुद्ध प्रमाण पत्र मुकदमा दायर करने का अनुरोध किया गया है। अवलोकन किया।

राशि की वसूली लोक मांग अधिनियम में निहित प्रावधान के अलोक में विधि वर्जित नहीं है। इसे पंजी 10 में दर्ज करें एवं देनदार के विरुद्ध धारा 7 की सूचना निर्गत करें। तामिला के पश्चात् अभिलेख उपस्थापित करें।

9.6.06  
प्रमाण पत्र पदाधिकारी,  
बलियापुर।

31-7-07

10.7.07

अभिलेख उपस्थापित,  
धारा-7 का सांख्यिकी अप्रप्त है, पुनः देनदार के विरुद्ध धारा-7 निर्गत करें।  
दिनांक 31.7.07 को रखें।

6  
12/7/07

10.7.07  
अ०अ०

अभिलेख उपस्थापित,  
धारा-7 का सांख्यिकी अप्रप्त है, पुनः देनदार के विरुद्ध धारा-7 निर्गत करें।  
अभिलेख को रखें,

अ०अ०

16/08/22

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। देनदार द्वारा अधियाची राशि जमा नहीं किया है और न कोई पैरवी है। अधियाची राशि जमा करने हेतु देनदार को नोटिश निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक- 26/08/22 को उपस्थापित करें।


  
16/08/2022

अंचल अधिकारी,  
बलियापुर।

30/08/22

अभिलेख उपस्थापित किया है।

देनदार सुरवा राधा योजना के तहत  
₹० जमा कर दिया है। अभिलेख पर उम्मीद  
कारवाई बंद की जाती है।

  
30/08/2022  
अंचल अधिकारी  
बलियापुर